CHHATTISGARH JUDICIAL SERVICE EXAMINATION (MAINS) 2019

Time: 3 hrs. **Marks: 100**

1. Read the following carefully and write judgement after framing necessary issues:
निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक वादपत्र निर्मित करके निर्णय लिखें:-

[40]

The plaintiff entered into an agreement with defendant to purchase the land bearing khasra No. 133/2 area 2 acres, situated at village Rampur, Dist., Raipur. Defendant agreed to sell the disputed land for consideration of Rs. 25,00,000/- and received Rs. 1,00,000/- in cash and Rs. 2,00,000/- by cheque, total amount of Rs. 3,00,000/- as advance and it was also agreed that the sale deed would be executed within 11 months by receiving the balance sale amount. Plaintiff requested the defendant to get the sale deed executed in his favour, but defendant tried to avoid the execution of sale deed. Plaintiff has always been ready and willing to perform his part of the contract. Plaintiff also came to know from the reliable sources that the defendant is trying to sell the disputed land to others. Plaintiff sent a legal notice to the defendant to get the sale deed executed, but the defendant has not replied. The defendant deserves a direction to execute the sale deed by receiving the balance sale consideration, and hand over the possession of the disputed land to him.

Defendant denied the sale agreement and pleaded that he borrowed Rs. 2,00,000/- from the plaintiff. The defendant has executed this document as security for repayment of loan. The defendant has repaid the amount Rs. 2,50,000/- in cash, to the plaintiff, which includes the interest component also. The plaintiff did not possess sufficient amount and was not ready and willing to perform his part of the contract.

Plaintiff Rampal PW1 deposed, supported his pleadings. The witnesses Ramu PW2 and Ghanshyam PW3 deposed that the agreement to sale Ex. P/1 was executed in their presence. Previously plaintiff had sold some land, therefore there was sufficient amount in his bank account.

Defendant Ramdeen DW1 deposed that he was in need of money and borrowed Rs. 2,00,000/- from the plaintiff. The document Ex. P/1 was executed as security for repayment of loan. Lakhan DW2 and Mohan DW3 also stated that Ramdeen DW1 had repaid the entire amount of Rs. 2,50,000/- to the plaintiff in their presence. However, they admitted that no document was written in this regard.

वादी ने प्रतिवादी से ग्राम रामपुर जिला - रायपुर में स्थित भूमि खसरा न.-133/2 क्रय करने का अनुबंध किया। प्रतिवादी ने उक्त भूमि वादी को 25 लाख रुपये प्रतिफल में विक्रय करने की सहमति दी और 01 लाख रुपये नगद व 02 लाख रुपये चेक, कुल 03 लाख रुपये अग्रिम के रूप में प्राप्त किया तथा इस बात की भी सहमति दिया कि बकाया राशि प्राप्त कर

Scan this QR Code to install the Linking App and get Full PDF of study material
Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now
Linking Laws is an institution for RJS, DJS, MPCJ, UP PCS J, HCS (JB), GJS, & Other State Judiciary and Law Exams.

11 माह में विक्रयपत्र का निष्पादन किया जायेगा। हादी ने प्रतिवादी से उसके पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित करने का अनुरोध किया, किन्तु प्रतिवादी विक्रयपत्र को निष्पादित करने में टालमटोल करता रहा। वादी हमेशा संविदा के अपने भाग का निष्पादन करने के लिए तैयार और तत्पर रहा है। वादी को विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी मिली कि प्रतिवादी विवादित भूमि को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। वादी ने प्रतिवादी को विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु विधिक सूचना पत्र प्रेषित किया, किंतु प्रतिवादी ने उत्तर नहीं दिया। प्रतिवादी को इस आशय का निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह अवशिष्ट विक्रय प्रतिफल की राशि लेकर विक्रयपत्र का निष्पादन करायें और विवादित भूमि का उसे आधिपत्य सौंपे।

प्रतिवादी ने विक्रय अनुबंध से इंकार किया और यह अभिवचन किया कि उसने वादी से 02 लाख रुपये उधार लिया था। प्रतिवादी ने इस दस्तावेज को ऋण के भुगतान की सुरक्षा हेतु निष्पादित किया था । प्रतिवादी ने 2,50,000,00 रूपये की राशि वादी को नगद अदा किया है, जिसमें ब्याज की राशि भी शामिल है। वादी के पास पर्याप्त निधि नहीं है और वह संविदा के अपने भाग को निष्पादित करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं रहा है।

वादी रामलाल (वा.सा.01) ने अपने अभिवचनों का समर्थन करते हुए कथन किया है। साक्षी रामू (वा.सा.02) एवं घनश्याम (वा.सा.03) ने कथन किया कि प्र.पी.01 का विक्रय अनुबंध उनकी उपस्थिति में निष्पादित हुआ था। पहले वादी ने कुछ भूमि विक्रय किया था, जिसके कारण उसके बैंक खाते में पर्याप्त निधि थी।

प्रतिवादी रामदीन प्र.सा.क्र.01 ने कथन किया कि उसे पैसों की आवश्यकता थी और उसने वादी से 02 लाख रूपये उधार लिया था। प्र.पी.01 का दस्तावेज ऋण के पुर्नभुगतान की सुरक्षा हेतु निष्पादित किया गया था। लखन प्र.सा.क्र.02 और मोहन प्र.सा.क्र.03 ने भी कथन किया के रामदिन प्र.सा.01 ने वादी को संपूर्ण राशि 2,50,000,00 रुपये उनकी उपस्थिति में अदा कर दिया है, हांलाकिं उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस संबंध में लिखित दस्तावेज लेख नहीं किया गया था।

2. **Read the following carefully and write Judgement after framing necessary charge.**
निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक आरोप निर्मित करके निर्णय लिखे :-

[40]

Complainant Ram was purchasing salt in the market on 07-06-2019 at 10.30 p.m. He was accompanied by his friends Uday and Jolly. At that very moment, accused persons Om, Vikas and Kirit came out from the hotel of Mahesh. Complainant Ram asked for the whereabouts of Kirit from Om. Accused Om got annoyed by way of asking of complainant Ram and said that he is talking in an undignified manner, and abused him saying madharchod and bahenchod. Thereafter, accused Kirit and Vikas caught hold of complainant Ram and accused Om took out a knife and dealt 5 to 6 blows causing injury at left arm, scapula region, right jaw etc. His shirt and baniyan were also torn off and blood oozing from the wounds. The accused persons Om, Vikas and Kirit also threatened to eliminate him. The incident was witnessed by Uday and Jolly in the electric light. They also tried to save injured Ram and brought him to the hospital in an autorikshaw by his friends, where he lodged the First Information Report. Thereafter, Ram was examined by the doctor who opined that injuries caused to him were simple in nature.

Ram PW1 has supported the facts mentioned in the FIR and in his cross examination; he admitted that he had bad relations with the accused Om and Kirit. Uday PW2 had supported the facts of incident, while Jolly PW3 had not supported. Dr. PW4 found five incised wound on the body of the injured, which were simple in nature. He stated in cross-examination that injuries caused to Ram may not be self-inflicted. Investigating officer

Scan this QR Code to install the Linking App and get Full PDF of study material
Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now
Linking Laws is an institution for RJS, DJS, MPCJ, UP PCS J, HCS (JB), GJS, & Other State Judiciary and Law Exams.

PW5 has admitted recording of FIR, seizure of knife from accused Om and performing other investigation.

राम दिनांक 07.06.2019 को रात्रि 10:30 बजे बाजार में नमक क्रय कर रहा था। उसके साथ उसके मित्र उदय और जौली थे। उसी समय महेश के होटल से अभियुक्त ओम, विकास और किरीट निकले। अभियोगी राम ने ओम से किरीट के पता-ठिकाना के बारे में पूछा। अभियोगी राम के पूछताछ के तरीके से चिढ़कर ओम ने कहा कि वह मर्यादाहीन बात कर रहा है और उसे मादरचोद और बहनचोद की गालियाँ दिया। इसके बाद अभियुक्त किरीट एवं विकास ने अभियोगी राम को पकड़ लिया। ओम ने चाकू निकाला और उसकी बाई भुजा, स्कंधास्थि क्षेत्र, दाहिने जबड़े आदि पर क्षतियां कारित करते हुए 5-6 प्रहार किये। उसकी कमीज और बनियान फट गई। घाव से रक्त रिसाव हो रहा था। अभियुक्त ओम, विकास एवं किरीट ने राम को जान से मारने की धमकी भी दिया था। घटना साक्षी उदय और जौली ने विद्युत प्रकाश में देखा था। उन्होंने अभियोगी राम को बचाने का प्रयास भी किया। अभियोगी राम को उसके मित्रों ने ऑटोरिक्शा में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां राम ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद चिकित्सक ने अभियोगी राम का परीक्षण किया, जिसने यह मत दिया कि राम को आई हुई चोटें साधारण प्रकृति की थीं।

राम (अ.सा. 01) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का समर्थन किया है और प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि पूर्व से उसकी अभियुक्त ओम और किरीट से बुराई है। उदय (अ.सा.02) ने घटना का समर्थन किया है, जबकि जौली (अ.सा. 03) ने समर्थन नहीं किया है। चिकित्सक (अ.सा. 04) ने आहत के शरीर पर 05 कटे हुए घाव पाऐं थें, जो साधारण प्रकृति के थे। प्रति परीक्षण में यह प्रकट किया कि राम को आई हुई चोटें स्व:कारित नहीं हो सकती है। अनुसंधानकर्ता (अ.सा.05) अधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया जाना अभियुक्त ओम से चाकू की जब्ती और अन्य विवेचना किया जाना प्रकट किया है।

Scan this QR Code to install the Linking App and get Full PDF of study material
Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is an institution for RJS, DJS, MPCJ, UP PCS J, HCS (JB), GJS, & Other State Judiciary and Law Exams.